प्र.सं. 87/2017 पूंजा व अन्य बनाम बंशीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.08.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वीरपुरा में वादीगण के खातेदारी आधिपत्य की आराजी नंबर 237 से 241, 621 से 623, 625 व 688 कुल किता 10 रकबा 4.3200 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर वादी का पीढ़ियों से आधिपत्य चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं होते हुए भी दखलन्दाजी करते हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे एवं यदि प्रतिवादीगण दौराने दावा जबरन कब्जा कर लेवें तो उन्हें बेदखल किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 17.06.2015 से वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11.07.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से वकील श्री भगवानलाल पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें प्रथम बार दिनांक 05.06.2017 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील अन्दर मयाद में शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। हमने प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ स्वीकार की जाती है। दौराने बहस वकील अपीलान्ट अपील नामों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण की प्रकृति	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.09.14 12:29:56 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 87/2017 पूंजा व अन्य बनाम बंशीलाल व अन्य

कभी भी तामिल नहीं हुई एवं तामिल हुए बिना एवं अपीलान्टगण को सूचना दिये बिना प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्टगण वर्षो से विवादित आराजियात पर काबिज हैं, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं मनमकसूद तरीके से अपीलान्टगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में दिनांक 08.05.2015 के लिए पेशी नियत थी, किन्तु उक्त दिनांक के स्थान पर बिना कोई अग्रिम पेशी दिये पत्रावली दिनांक 17.06.2015 को राजस्व कैम्प में प्रस्तुत हुए, जिसकी सूचना अपीलान्टगण को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। तुद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 27/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.10.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:29:56 IST
Reason: SelfAttested

(एम. ... चौहान)
... अधिकारी
... राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर